राष्ट्रीय सहारा
राष्ट्रीयता ■ कर्त्तव्य ■ समर्पण
नई दिल्ली। बुधवार ● 1 दिसम्बर ● 2021 राष्ट्रीय सहारा www.rashtriyasahara.com

नर्सरी में दाखिले की दौड़ 15 से

■ राकेश नाथ

नई दिल्ली। एसएनबी

राजधानी के गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी की करीब एक लाख सीटों के लिए दाखिले की दौड़ 15 दिसम्बर से शुरू हो जाएगी। स्कूलों में नर्सरी दाखिले 100 प्वाइंट्स सिस्टम के फॉर्मूले से होंगे। स्कूलों में आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी होगी। नर्सरी कक्षा में आवेदन के बाद स्कूलों द्वारा दाखिले की पहली लिस्ट 4 फरवरी और दूसरी 21 फरवरी को जारी की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को नर्सरी दाखिले की गाइडलाइंस जारी कर दी।

जारी गाइडलाइंस के अनुसार राजधानी के गैर सहायता प्राप्त पब्लिक स्कूलों की 75 फीसद ओपन सीटों के लिए नर्सरी कक्षाओं के दाखिले के लिए स्कूलों में 14 दिसम्बर को अपना प्वाइंट्स सिस्टम जारी करना होगा। स्कूलों में अधिकतम 25 रुपए का फॉर्म आवेदन के लिए होगा। निदेशालय ने साफ किया है कि दाखिले के लिए जारी शेड्यूल में किसी तरह के बदलाव के साथ स्कूल अपनी प्रक्रिया नहीं चला सकते है।

बता दें कि नर्सरी कक्षाओं में दाखिले 100 प्वाइंट्स फॉर्मूले से किए जाते हैं। स्कूलों में अपने प्वाइंट्स सिस्टम में न्यायोजित प्वाइंट्स को क्राइटेरिया में रखना होगा। स्कूलों के नर्सरी दाखिले की क्राइटेरिया में आमतौर पर नर्सरी दाखिले में नेबरहुड, सिबलिंग, गर्ल चाइल्ड, एल्यूमनी आदि प्रमुख बिन्दु रहते हैं। सभी स्कूलों में अपने यहां 25 फीसद सीटें ईकोनॉमिक वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) और डिसएडवांटेज ग्रुप (डीजी) कोटे के लिए आरक्षित रखनी होगीं।

- पब्लिक स्कूलों में 1 लाख नर्सरी की सीटों के लिए रेस
- पब्लिक स्कूलों में आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2022
- पहली दाखिला लिस्ट 4 फरवरी को
- दूसरी लिस्ट 21 फरवरी को
- स्कूलों को 14 दिसम्बर को को घोषित करना होगी दाखिले की क्राइटेरिया
- स्कूलों को न्यायोजित 100 प्वाइंट्स के फॉर्मुले रखने होंगे

निदेशालय ने साफ किया है कि नर्सरी दाखिले की सीटें बीते तीन सालों में नर्सरी में अधिकतम दाखिले से कम नहीं रखी जा सकती हैं। पीतमपुरा स्थित एमएम पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य रूमा पाठक ने कहा कि अब गाइडलाइंस आने के बाद हम नर्सरी दाखिले को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सकेंगे।

सीटों से ज्यादा आवेदन होने पर होगा ड्रॉ : नर्सरी दाखिले को लेकर सीटों से ज्यादा आवेदन करने पर स्कूलों द्वारा ड्रॉ निकाला जाता है। हर साल स्कूलों में सीटों से ज्यादा ही आवेदन होते हैं। ऐसे में स्कूल द्वारा दाखिले के लिए ड्रॉ से बच्चों के दाखिले किए जाते हैं। स्कूलों को ड्रॉ करने से पहले सभी अभिभावकों को पहले सूचित करना होता है और इसकी वीडियोग्राफी भी करनी होगी।

पब्लिक स्कूलों में दाखिले की एज क्राइटेरिया (31 मार्च 22 को)

- नर्सरी के लिए 3 साल (अधिकतम 4 साल से कम)
- केजी क्लास के लिए 4 साल (अधिकतम 5 साल से कम)
- पहली क्लास के लिए 5 साल(अधिकतम 6 साल से कम)

दाखिले में डोनेशन लिया तो 10 गुना होगा जुर्माना : नर्सरी दाखिले की गाइडलाइंस में शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यदि दाखिले के नाम पर किसी भी अभिभावक से स्कूल द्वारा किसी तरह का डोनेशन लिया गया तो स्कूल पर लिए गए डोनेशन का दस गुना जुर्माना देना होगा।

स्कूल आवेदन फॉर्म के अलावा प्रोसेसिंग और प्रॉस्पेक्टस के लिए बाध्य नहीं करेंगे : नर्सरी दाखिले के लिए आवेदन के लिए फॉर्म के लिए अभिभावंक से केवल 25 रुपए ही लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आवेदन की प्रोसेसिंग फीस और प्रॉस्पेक्टस के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं किया जा सकता है।